भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 366
दिनांक 04 फरवरी, 2025/ 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

भूस्खलन जोखिम शमन योजना

366. श्री अनिल बलूनी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भूस्खलन जोखिम शमन योजना (एलआरएमएस) को मंजूरी दे दी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या एलआरएमएस का उद्देश्य भूस्खलन प्रवण राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) उन भूस्खलन प्रवण राज्यों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें उक्त योजना के अंतर्गत कोई वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ) जी हां। सरकार ने वर्ष 2019 में चार (04) राज्यों सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड के लिए भूस्खलन जोखिम शमन योजना (एलआरएमएस) को मंजूरी दी थी ताकि इन संवेदनशील राज्यों को आपदा तैयारियों के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सके और भविष्य में अन्य भूस्खलन शमन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण किया जा सके।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) के आपदा जोखिम शासन में सुधार के तहत जुलाई, 2019 में 43.91 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ एलआरएमएस की अवधारणा तैयार की गई और इसे लॉन्च किया गया।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 366, दिनांक 04.02.2025

योजना के प्रमुख परिणामों में भूस्खलन शमन, वास्तविक समय निगरानी, जागरूकता कार्यक्रम और क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण शामिल थे। एलआरएमएस के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण इस प्रकार है::-

(रूपये करोड़ में)

क्र सं	राज्य	कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता
1.	सिक्किम	11.08
2.	नागालैंड	10.92
3.	उत्तराखंड	10.92
4.	मिजोरम	10.99
कुल		43.91

इसके अतिरिक्त, हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) से वित्त पोषण के लिए 15 भूस्खलन प्रवण राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) के लिए 1000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना को भी मंजूरी दी है।

***